राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–बिरामी

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 107/2014
तारीख दायरा 15.12.2014
तारीख फैसला 21.05.2016

वादीगण– **बनामः** **प्रतिवादीगण–**

1–सायरी पुत्री खुमदासजी
2–नरपतदास गोदीपुत्र खुमदासजी
3–बाबुदास पुत्र प्रेमदासजी
4–रमेशदास पुत्र प्रेमदासजी
5–रूकमणीदेवी पुत्री लादूरामजी
6–कालीदास पुत्र जीवारामजी
7–सरस्वतीदेवी पुत्री जीवारामजी
8–उमीबाई पुत्री जीवारामजी
9–प्यारीदेवी पत्नी भैरूलालजी
10–मांगीलाल पुत्र भैरूदासजी
11–कन्हैयालाल पुत्र श्यामलालजी
जातिगण वैष्णव निवासीगण बिरामी
तहसील सुमेरपुर

1–तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर
2–राजस्थान सरकार जरिए
जिलाधीश महोदय पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट,1955

–: फैसला :–

दिनांक 21.05.2016

(1) कि उपरोक्त अनबान की पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र बिरामी में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। प्रश्नगत् मामले में हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकारों को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। प्रकरण की वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत वादपत्र पेश कर सरहद मौजा बिरामी तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 1174, 1175 कुल रकबा 9.32 हेक्टर जो डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुरजी खातेदार के रूप में वादीगण व उनके पूर्वजों के नाम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने से पूर्व अर्थात संवत् 2010 के पूर्व से कब्जा काश्त आज तक लगातार शांति पूर्वक चला आ रहा है, जिसके आधार पर खातेदारी अधिकार व स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अनुतोष चाहा गया है। वादीगण ने वादपत्र के साथ साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः हाल जमाबंदी संवत् 2068–71, गत् जमाबंदी संवत् 2044–47, जमाबंदी 2048–51, जमाबंदी 2052–55, खतौनी बंदोबस्त संवत् 2009–28, खतौनी बंदोबस्त संवत् 2028–29, मिलान क्षेत्रफल, खतौनी बंदोबस्त संवत 2037–56, खसरा गिरदावरी संवत् 2011–13, खसरा गिरदावरी संवत् 2026–27 व खसरा गिरदावरी संवत् 2030–33 इत्यादि की प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश की है।

(2) कि प्रश्नगत् मामले में पटवारी हल्का बिरामी, भू–अभिलेख निरीक्षक ढोला व तहसीलदार सुमेरपुर ने वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट पेश की जिसे रेकर्ड पर लिया गया। कथित जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम बिरामी की खतौनी बंदोबस्त संवत् 2009–28 में दर्ज गत् खसरा नं. 490 रकबा 40 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नं. 491/574 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा भूमि डोली बनाम ठाकुरजी वाके देह पुजारी गुलाबदास वगैरह के नाम खुदकाश्त के रूप में दर्ज है। मिलान

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज)

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016.

क्षेत्रफल अनुसार उपरोक्त भूमि के नये खसरा नं. 1174 व 1175 कुल रकबा 9.32 हेक्टर बने है जो मिसल बंदोबस्त संवत् 2037–56 के खाता सं. 432 में डोली बनाम मंदिर श्री ठाकूरजी खातेदार के साथ पुजारीगण के नाम दर्ज है, तत्पश्चात् जमाबंदी संवत् 2044–47 व संवत् 2048–51 में भी यह भूमि डोली बनाम मंदिर श्री ठाकूरजी खातेदार के साथ पुजारीगण के नाम बतौर व्यवस्थापक के दर्ज है। इसके अलावा कथित जांच रिपोर्ट से यह भी जाहिर है कि राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक.एफ.2(4)राज./4/90/37 दिनांक 13.12.1991 की पालना में वादग्रस्त भूमि से संबंधित जमाबंदी संवत् 2052–55 में दर्ज पुजारीगण के नाम विलोपित किए जाकर खाता डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुरजी खातेदार के नाम दर्ज किया जो राजस्व रेकर्ड में आदिनांक इन्द्राज बदस्तुर चल रहा है अर्थात वादग्रस्त भूमि बाबत राजस्व रेकर्ड संवत् 2009 से लगाय आदिनांक तक बतौर खातेदार डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुरजी दर्ज के नाम बदस्तुर दर्ज है। इस प्रकार उल्लेखित तथ्यों के आधार पर हमारे विधिक विचारों में वादग्रस्त भूमि बाबत वादीगण का प्रश्नगत् वादपत्र प्रथमतः चलने योग्य व पोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विवेचन तथ्यों के परिणामतः वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के सरहद मौजा बिरामी तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नं. 1174, 1175 कुल रकबा 9.32 हेक्टर जो कि डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुरजी खातेदार के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, के बारे में कतिपय प्रावधानों के तहत खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति बाबत प्रथमतः चलने योग्य व पोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाता है। माफिक फैसला डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह फैसला बरोज आज दिनांक 21.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प बिरामी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
सुमेरपुर(पाली)
केम्प–बिरामी

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज)

Scanned by CamScanner